एफएएम नंबर 91/2016

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्यायालय में निर्णय सुरक्षित: 05-04-2021

न्यायालय में निर्णय सुनाया गया: 09-09-2021

एफएएम नंबर 91/2016

[परिवार न्यायालय, राजनांदगांव द्वारा सिविल वाद संख्या 143-ए/2013 में दिनांक 25-02-2016 को पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न]

1. सुरेश तिवारी, पिता श्री सालिकराम तिवारी, उम्र 52 वर्ष, राधाकृष्ण वार्ड, कवर्धा, थाना, तहसील और जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, सिविल और राजस्व जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़।

---- **अपीलकर्ता**

बनाम

1. साधना तिवारी, पिता स्वर्गीय सनत कुमार मिश्रा, उम्र 49 वर्ष।
2. शैफाली उर्फ प्रगति तिवारी, उम्र 18 वर्ष।

दोनों निवासी ब्राह्मणपारा, राजनांदगांव, तहसील और जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

---- **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से श्री संदीप श्रीवास्तव और श्री आकाश अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता।

माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, एजी. सी. जे.

माननीय श्री एन.के. चंद्रवंशी, जे.

सीएवी निर्णय

निम्नलिखित निर्णय प्रशान्त कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया:

1. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अन्तर्गत इस अपील में अपीलकर्ता सुरेश तिवारी ने परिवार न्यायालय, राजनांदगांव द्वारा

उत्तरवादीगण के हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25(2) (संक्षिप्त में 'अधिनियम, 1955') के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में भरण-पोषण राशि उत्तरवादी क्रमांक 1 साधना तिवारी के लिए 1,000/- रूपये से 1,700/- रूपये प्रति माह तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 शैफाली उर्फ प्रगति तिवारी के लिए 250/- रूपये से 750/- रूपये प्रति माह वृद्धि किये जाने के निर्णय को चुनौती दी है।

2. अपीलकर्ता और उत्तरवादी संख्या 1 के मध्य कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 1991 में संपन्न उनके विवाह को 3-3-2002 को लोक अदालत के समक्ष किए गए समझौते के द्वारा भंग कर दी गई है। समझौता डिक्री पारित करते समय, अपीलकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 को 1,000/- रुपये प्रति माह तथा उनके बच्चों सौरभ और शैफाली (मनीषा) को वयस्क होने तक 250/- रुपये प्रति माह देने पर सहमति व्यक्त की। अपीलकर्ता ने अपनी बेटी शैफाली (मनीषा) के नाम पर उसकी शादी में होने वाले खर्च के लिए 50,000/- रुपये की सावधि जमा करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके बदले, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत चल रहे मामले को वापस लेने और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अन्तर्गत चल रहे आपराधिक मामले को समाप्त करने की सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जब 3-3-2002 को उपरोक्त शर्तों के अनुसार मामले में समझौता हुआ तो उत्तरवादियों ने भरण-पोषण की राशि बढ़ाने की मांग करते हुए अधिनियम, 1955 की धारा 25(2) के विषयान्तर्गत आवेदन पेश किया और पारिवारिक न्यायालय द्वारा इसे अनुमति दे दी गई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप श्रीवास्तव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जालौर सिंह एवं अन्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ तथा भार्गवी कंस्ट्रक्शन एवं अन्य बनाम कोथाकापु मुथ्यम रेड्डी एवं अन्य में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम है तथा अपील योग्य नहीं है, इसलिए उत्तरवादियों के लिए अधिनियम, 1955 की धारा 25(2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं था, न ही पारिवारिक न्यायालय के लिए लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय में संशोधन करना उचित था।

5. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा ने प्रतिपक्ष प्रस्तुत किया कि उत्तरवादियों ने लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया है, इसलिए उत्तरवादियों द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य है।

6. भार्गवी कंस्ट्रक्शन (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि लोक अदालत द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर दिया गया निर्णय अंतिम होता है और समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

समझौते के आधार पर दिए गए ऐसे निर्णय को चुनौती केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और/या अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत याचिका दायर करके ही दी जा सकती है, वह भी बहुत सीमित आधारों पर।

7. अधिनियम, 1955 की धारा 25 में स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसे आसान संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण** -- (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय, कोई डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि उत्तरदाता आवेदक को उसके भरण-पोषण और भरण-पोषण के लिए ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक राशि आवेदक के जीवन काल से अधिक अवधि के लिए नहीं देगा, जो उत्तरदाता की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, आवेदक की आय और अन्य संपत्ति, पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हो और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि आवश्यक हो, उत्तरदाता की अचल संपत्ति पर भार लगाकर सुरक्षित किया जा सकेगा।
>
> (2) यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी पक्षकार की परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, तो वह किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसे किसी आदेश में ऐसी रीति से परिवर्तन, संशोधन या विखंडन कर सकेगा, जैसा न्यायालय न्यायसंगत समझे।
>
> (3) यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि जिस पक्षकार के पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, उसने पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है, तो वह पतिव्रता नहीं रही है या यदि ऐसा पक्षकार पति है, तो उसने विवाहेतर किसी स्त्री के साथ संभोग किया है, तो वह दूसरे पक्षकार के कहने पर ऐसे किसी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या उसे रद्द कर सकता है, जैसा न्यायालय न्यायसंगत समझे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान धारा 25 में ही निहित है, जो यह प्रावधान करता है कि धारा 25(1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया किया जाएगा और जब उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करने के बाद किसी भी समय किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, तो वह किसी भी पक्ष के कहने पर ऐसे किसी भी आदेश में परिवर्तन, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकता है, जैसा न्यायालय न्यायसंगत समझे।

9. लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलकर्ता द्वारा उत्तरवादियों को देय मासिक भरण-पोषण की राशि तय करते समय धारा 25(1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग किया गया था, इसलिए, चूंकि भरण-पोषण की राशि उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रावधान द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए यह पत्नी को राशि में संशोधन/वृद्धि के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। ऐसा आवेदन करते समय पत्नी या बच्चों ने निर्णय को चुनौती नहीं दी है, इसलिए वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है जहां भार्गवी कंस्ट्रक्शन (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर आवेदन वर्जित किया जाएगा।

10. जब कानून स्वयं किसी पक्ष को बदली हुई परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का अधिकार देता है, तो ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अन्तर्गत लोक अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया था।

11. चूंकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का केंद्र पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निपटाए गए प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए हमने दोनों उत्तरवादियों के पक्ष में मासिक भरण-पोषण राशि यानी क्रमशः 1700/- रुपये और 750/- रुपये निर्धारित करने के निर्णय के गुणदोष पर विचार नहीं किया है। हालांकि, भले ही इसकी गुणदोष के आधार पर जांच की जाए, लेकिन वर्तमान मूल्य सूचकांक को देखते हुए यह उच्चतर नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील, निराधार होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है तथा पक्षकारगण अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

13. तदनुसार डिक्री तैयार किया जाएगा।

सही/-
(प्रशांत कुमार मिश्रा)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(एन.के. चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

शीर्षक नोट

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत भरण-पोषण लोक अदालत द्वारा तय किया जाता है। इसे परिवार न्यायालय द्वारा धारा 25 (2) के अन्तर्गत बदला, संशोधित या निरस्त किया जा सकता है और यह लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती देने के समान नहीं होगा।

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur